

Bihar Government
Home (Police) Department

—Notification—

No.-4/B1-102/2008

H.(P), 4573/ Patna, Dt 13/06/13

In exercise of power conferred under section-55, read with section-94 Bihar Police Act, 2007 (Act 7 of 2007) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in Appendix 103 of Rule-663 of the Bihar Police Manual, 1978 with effect from the date of issue of notification.

Amendment

Appendix 103 (Rule-663)

The provision under para 5(ℓ) “Educational Qualification” of Appendix 103 of Bihar Police Manual 1978 as amended from time to time is substituted by the following:-

“5(ℓ) Educational Qualification – “Intermediate (10+2) pass or Maulvi certificate issued by Madarsa Board of Bihar State or Shastri (with English) or Acharya (without English) certificate issued by Sanskrit Board of Bihar State or any other equivalent educational qualification recognised by the State Government.”

Note:- This amendment shall not affect adversely the promotion of police personnel already appointed. Meaning thereby they shall be promoted on the basis of those qualification on which they were appointed.

By the order of Governor,

Sd/-

Joint Secretary to Govt.

Memo No.4/B1-102/2008

H.(P), 4573/ Patna, Dt 13/06/13

Copy to: Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna-7 to publish in extra ordinary edition of gazette.

2. It is requested that 1000 extra copies of notification may kindly be made available to Home (Police) Department for use by the office.

Sd/-

Joint Secretary to Govt.

Memo No.4/B1-102/2008

H.(P), 4573/ Patna, Dt 13/06/13

Copy to: Forwarded to Director General of Police, Bihar, Patna with the request that action may be taken to substitute the amended portion as per the orders of the State Government.

Sd/-

Joint Secretary to Govt.

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग
-: अधिसूचना :-

ज्ञापांक-4/ब1- 102/2008/गृ0आ0 4573

पटना, दिनांक 13.06.2013

बिहार पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम, 7, 2007) की धारा 55, सह पठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम-663 के परिशिष्ट-103 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

परिशिष्ट-103 (नियम-663)

बिहार पुलिस हस्तक 1978, समय-समय पर यथा संशोधित के परिशिष्ट-103 की कंडिका-5 (ठ) के अधीन प्रावधान "शैक्षणिक योग्यता" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"5(ठ) शैक्षणिक योग्यता- इण्टरमीडिएट (10+ 2) उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य के मद्रसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रेजी सहित) अथवा आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता।"

नोट:-पूर्व से नियुक्त पुलिस कर्मियों की प्रोन्नति पर इस संशोधन का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् उनकी प्रोन्नति उन्हीं अर्हता के आधार पर होगी जिस पर उनकी नियुक्ति की गयी थी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
गृह (आरक्षी) विभाग ।

ज्ञापांक - 4/ब1 102/2008/गृ0आ0 4573

पटना, दिनांक-13.06.13

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

1- अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह (आरक्षी) विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- 4/ब1 102/2008/गृ0आ0 4573

पटना, दिनांक-13.06.13

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार पुलिस हस्तक में राज्य सरकार के आदेशानुसार संशोधित अंश को प्रतिस्थापित करने की कार्रवाई की जाय ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।